

प्राकरण

मोटर वाहन अधिनियम - 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

बुक क्रमांक 17

रसीद क्रमांक

843

उ0प्र0 पुलिस/यातायात पुलिस

वाहन स्वामी/स्वामिनी का नाम

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी/निवासिनी

उल्लंघन करने का स्थान

थाना क्षेत्र

दिनांक

समय

वाहन संख्या

वाहन की किस्म

परमिट संख्या

परमिट की वैधता

ड्राइविंग लाईसेंस सं०

लाईसेंस का प्रकार

वैधता

अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने का बन्ध - पत्र

मैं श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास स्थान

जिला

का निवासी/निवासिनी हूँ

इस लेख द्वारा वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक

समय 10 बजे प्रातः

के

न्यायालय में उपस्थित होकर वहां अपने ऊपर लगाये गये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये उपस्थित रहूंगा/रहूंगी और उपस्थित न होने पर मैं अपने को इस बात का बाध्य करता/करती हूँ कि न्यायालय द्वारा निर्धारित दण्ड/जुर्माना के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	अपराध का विवरण	धारा
1-		
2-		
3-		

उक्त बन्ध-पत्र के साथ चालानकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

उक्त बन्ध-पत्र/विवरण की एक प्रति प्राप्त की हस्ताक्षर मालिक/चालक

चालानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व पद नाम

थाना (नियुक्ति स्थान)

जनपद - गौतमबुद्धनगर

दिनांक

मुद्रक :- सुमित स्टेशनर्स, प्रिंटेर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स
कृष्णा नगर, बुलन्दशहर